



उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-1098/2026/476/22-2-2026-17(198)/2026

लखनऊ: दिनांक: 20 अगस्त, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिव नारायण (बन्दी सं०-500/2023) पुत्र श्री राम भरोस, जो उसहरा केवटहिया, थाना-जलालपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-149/2011, भा०द०वि० की धारा-302, 201 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं०-03, अम्बेडकर नगर के दण्डादेश दिनांक 28.07.2016 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 08.09.2025 तक अपरिहार 08 वर्ष, 09 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष, 02 माह, 13 दिन की सजा भोगी जाने, संतोषजनक जेल आचरण होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

उक्त आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जा रहा है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-1098/2026/476(1)/22-2-2026 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर।
- 3- पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।
- 5- निजी सचिव, मा० मंत्री/मा० राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा० मंत्री/मा० राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी

अनु सचिव।